निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 75 / 2025
दायरा दिनांकः—18.08.2025
निर्णय दिनांकः— 4.11.25

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र प्रताप आयु 47 साल पुत्र रामनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भौरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 4.11.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री सोमेश कुमार गालव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल भौरा पटवार मण्डल खोपर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) की अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2075 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी में शामलाती खाता संख्या 78 मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 2.0361 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे खातेदार राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी है। जिस पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम की अन्य भूमि वाके माल भौरा मे प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ एंव प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक, परिचय पत्र वगेरहा में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थी का का नाम राजेन्द्रप्रताप पुत्र रामनाथ एंव अन्य खाते मे राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ एंव प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में भी प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ दर्ज होने से प्रार्थी को बैंक के.सी. सी. एंव अन्य परेशानिया आ रही है। इस कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे अपना नाम राजेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामनाथ करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त हुई प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भौंरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 78 नकल जमाबन्दी ग्राम भौंरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 2 पेश की गई फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पहचान पत्र, माध्य शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंक तालिका बैंक पास बुक पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके भौंरा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम ग्राम भौंरा की भूमि खाता संख्या 78 में राजेन्द्र कुमार के स्थान राजेन्द्र प्रताप सहवन से गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार है। प्रार्थी के नाम अन्य भूमि ग्राम भौरा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार है प्रार्थी ग्राम भौंरा की जमबान्दी खाता संख्या 78 में अपना नाम राजेन्द्र प्रताप के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज करवानें का अधिकारी है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी का अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम खाता संख्या 78 की जमाबन्दी में राजन्द्र प्रताप के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भौंरा की भूमि खाता संख्या 78 में राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण दर्ज है नामान्तरण संख्या 177 दिनांक 30.01.1983 से बेचान के नामान्तरण से प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद नाबा0 पुत्र रामनाथ दर्ज हुआ था जो नामान्तरण संख्या 297 दिनांक 17.06.2000 से बालिग के नामान्तरण से प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद से राजेन्द्र प्रताप दर्ज हो गया। तब से लेकर आदिनांक तब प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामनाथ दर्ज चला आ रहा है प्रार्थी के दस्तावेजात पहचान, पत्र दसवी कक्षा की अंक तालिका आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है खाता संख्या 78 के खातेदार महेन्द्र प्रताप एवं मौके पर उपस्थित मौतविरान से जानकारी पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार ही है राजेन्द्र प्रताप/ राजेन्द्र प्रसाद नामान्तरण के समय सहखातेदार ो नाम की समानता के कारण दर्ज हुआ है समस्त दस्तावेजात एवं सह खातेदार व ग्राम वासियों से जॉच के अनुसार जमाबन्दी में नाम दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रताप से राजेन्द्र कुमार किया जाना उचित होना बताया है तथा नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भौंरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 78 में राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भौंरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 2 में राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/15 दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पहचान पत्र कक्षा 10 की,अंक तालिका बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी खाता संख्या 2 में एवं प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 78 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामनाथ गलत दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराना चाहता है तहसीलदार छबडा ने भी प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार होने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम भौंरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 73 रकबा 2.0361 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामनाथ के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, छबडा